

-:कार्यालय आदेश:-

श्रीमती संजू मेघवाल अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडली कला जिला सवाईमाधोपुर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम 13 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव सेविका किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर जिला श्रीमती संजू मेघवाल को निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(श्री गोविन्द प्रसाद दीक्षित)
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा सवाई माधोपुर

सूचना-सूचनार्थ

1. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाईमाधोपुर।
4. सीईओ एवं पटेल बीआरसीएफ सवाईमाधोपुर को देकर लेख है कि संबंधित कार्मिक एवं प्रधानाध्यापक को एक प्रति उपलब्ध कराते हुए दिये गये आदेशों की पालना कर असाधारणकरकर्ता को सूचना से तत्काल अवगत करावें।
5. प्रधानाचार्य एवं पीईईओ राउमावि रामडी को देकर लेख है कि दिये गये आदेशों की पालना किये जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित प्रधानाध्यापक राउप्रावि खेडली कला (रामडी)।
7. संबंधित कार्मिक श्रीमती संजू मेघवाल अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडली कला (रामडी) जिला सवाईमाधोपुर को पालनार्थ।